

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), राजसमन्द

क्रमांक : रसद/एफ0पी0एस0/विज्ञप्ति/2023-24/1731-1780

दिनांक : 21.08.2023

-: : विज्ञप्ति :-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में उचित मूल्य की रिक्त दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

इस हेतु खाद्य विभाग के पत्रांक एफ017(1)खा0वि0/विधि/08 दिनांक 17.03.2016 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा-निर्देशों के तहत सशुल्क (100रूपये पोस्टल ऑर्डर) आवेदन पत्र कार्यालय समय में दिनांक 23.08.2023 से दिनांक 31.08.2023 सांय 05.00 बजे तक प्राप्त किये जाकर दिनांक 05.09.2023 सांय 05 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द में जमा करवाये जा सकेंगे। जिले में रिक्त उचित मूल्य की दुकानों का विवरण निम्नानुसार है।

| क्र.सं. | तहसील/नगर निकाय | ग्राम पंचायत / वार्ड | सेन्टर | महिला आरक्षित/ अनारक्षित | रिक्त/ नवसृजित |
|---------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 01 | कुम्भलगढ | कडिया | कडिया | अनारक्षित | इस्तीफा |
| 02 | | पीपाणा | पीपाणा | अनारक्षित | इस्तीफा |
| 03 | | गवार | गवार | अनारक्षित | इस्तीफा |
| 04 | | तलादरी | हमेरपाल | महिला आरक्षित | रिक्त |
| 05 | | नीमडी | सोनीयाणा | अनारक्षित | नवसृजित |
| 06 | भीम | सारोठ | नयागांव | अनारक्षित | निरस्त |
| 07 | | कालागुमान | केसागुडा | अनारक्षित | निरस्त |
| 08 | | समेलिया | पालरा | महिला आरक्षित | नवसृजित |
| 09 | | बालातों की गुंवार | बालातों की गुंवार | अनारक्षित | नवसृजित |
| 10 | | कालागुमान | चाट का गुडा | अनारक्षित | नवसृजित |
| 11 | | कुकडा | मेरिया | महिला आरक्षित | रिक्त |

| | | | | | |
|----|----------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 12 | | हामेला की बेर | पदमेला | अनारक्षित | नवसृजित |
| 13 | | कुकरखेडा | सदारण | अनारक्षित | नवसृजित |
| 14 | देवगढ | कुंदवा | कुंदवा | महिला आरक्षित | निरस्त |
| 15 | | कुंदवा | भचेरडिया | अनारक्षित | नवसृजित |
| 16 | | कुंदवा | अनोपपुरा | अनारक्षित | इस्तीफा |
| 17 | | माद | दांतडा -दुदालिया | महिला आरक्षित | निरस्त |
| 18 | | नरदास का गुडा | उमराज | अनारक्षित | निरस्त |
| 19 | | ताल | कालागुन | अनारक्षित | नवसृजित |
| 20 | | आमेट | काजीगुडा | सेलागुडा | महिला आरक्षित |
| 21 | लोढीयाणा | | वीरवास | अनारक्षित | नवसृजित |
| 22 | जेतपुरा | | जेतपुरा | अनारक्षित | मृत्यु |
| 23 | गोवल | | गोवल | महिला आरक्षित | निरस्त |
| 24 | साकरडा | | डेकावाडा | अनारक्षित | नवसृजित |
| 25 | राजसमन्द | | राज्यावास | अमलोई | अनारक्षित |
| 26 | | धांयला | धांयला | महिला आरक्षित | निरस्त |
| 27 | | भावा | सनियाणा | अनारक्षित | नवसृजित |
| 28 | | आत्मा | झांझर | महिला आरक्षित | रिक्त |
| 29 | रेलमगरा | आंजना | आंजना | अनारक्षित | इस्तीफा |
| 30 | | कुरज | कुरज | अनारक्षित | नवसृजित |
| 31 | | जवासिया | जवासिया | अनारक्षित | नवसृजित |
| 32 | | लापस्या | लापस्या | अनारक्षित | रिक्त |
| 33 | | गिलुण्ड | गिलुण्ड | अनारक्षित | नवसृजित |
| 34 | | ओडा | अडकिया | महिला आरक्षित | रिक्त |

| | | | | | |
|----|---------|------------|--------------------|---------------|---------|
| 35 | खमनोर | बिजनोल | बिजनोल | अनारक्षित | रिक्त |
| 36 | | सेमा | मलीदा | अनारक्षित | नवसृजित |
| 37 | | मचीन्द | मचीन्द द्वितिय | महिला आरक्षित | नवसृजित |
| 38 | | बडा भाणुजा | बडा भाणुजा द्वितिय | महिला आरक्षित | नवसृजित |
| 39 | | फतहपुर | फतहपुर | अनारक्षित | नवसृजित |
| 40 | | टाटोल | पसुनिया | अनारक्षित | नवसृजित |
| 41 | | नमाणा | नमाणा | महिला आरक्षित | रिक्त |
| 42 | देलवाडा | शिशवी | शिशवी द्वितिय | अनारक्षित | नवसृजित |
| 43 | | करोली | करोली द्वितिय | महिला आरक्षित | नवसृजित |
| 44 | | कालीवास | बरवलीया | अनारक्षित | नवसृजित |
| 45 | | उथनोल | उथनोल | अनारक्षित | नवसृजित |

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ 17 (खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.03.2016 के दिशा-निर्देश तथा रिक्त उचित मूल्य की दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट food.raj.nic.in व जिला रसद कार्यालय राजसमन्द में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त रिक्तियों में कमी/वृद्धि/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय सुरक्षित रहेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभेक्ता मामले विभाग एफ17(5) खा.वि./न्याय/ महिला आरक्षण/ 2019/ जयपुर दिनांक 25.11.2020 की अनुपालना मे सभी रिक्तियों के लिए 30प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण लागू किया गया है ।


(नीलाम सक्सेना)
जिला कलक्टर (रसद)
राजसमन्द

कमांक : रसद/एफ0पी0एस0/विज्ञप्ति/2023-24/ 1731-1780

दिनांक : 21.08.2023

प्रतिलिपि :-

- (1) श्रीमान् शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (2) श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (3) श्रीमान् उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राज0जयपुर
- (4) ए.सी.पी खाद्य विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट food.raj.nic.पद पर अपलोड करवाने बाबत।
- (5) श्रीमान् सांसद महोदय जिला राजसमन्द
- (6) श्रीमान् विधायक महोदय, राजसमन्द, कुम्भलगढ, भीम, नाथद्वारा,
- (7) जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी राजसमन्द को जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
- (8) उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द/आमेट/भीम/देवगढ/कुम्भलगढ/रेलमगरा /नाथद्वारा
- (9) प्रवर्तन अधिकारी, राजसमन्द।
- (10) तहसीलदार /प्रवर्तन निरीक्षक /राजसमन्द/ आमेट/ भीम/देवगढ/कुम्भलगढ/रेलमगरा नाथद्वार/गढबोर/खमनोर / देलवाडा
- (11) प्रबन्धक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नि0लि0, राजसमन्द।
- (11) संबंधित ग्राम पंचायत व सरपंच
- (12) वितरण शाखा/केशशाखा।
- (13) रक्षित पत्रावली।


जिला रसद अधिकारी
राजसमन्द